

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/12

पतावली आज पेश हुई।
 प्राथमिक / अधिकृत को बार-बार
 रकम - रकमकर आवजे दिलाई गई। परन्तु
 प्राथमिक की ओर से न्यायालय में कोई
 उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्राथमिक / अधिकृत
 को बिना किसी सूचना के न्यायालय सजा
 में अनुपस्थित रहने से प्राथमिक का अर्चना
 पत्र अन्तर्गत धारा - 111, 128 I.R Act अन्त
 हाजरी / अदम पैरवी से खारिज किया जाता
 है। पतावली जैलम शुभा, दोकल नम्बर
 के अन्तर्गत है।
 बाद तकमिल जाता दायित्व दफ्त
 लेखा / भण्डार जमा है।

(प्रकाश सुन्दर शिरोमोई)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
 सहायक कलेक्टर जैतारण

